न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनिता मीणा **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या :– 93/24 दायर तारीख :– 30.09.2024

01. धनेश कुमार बलाई पुत्र रिछपाल निवासी काबरों का बास तहसील कि0 रेनवाल

वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र हनुमान
2. नन्दाराम पुत्र हनुमान
3. मदनलाल पुत्र हनुमान
   समस्त जाति धोबी निवासी बधाल तहसील कि0 रेनवाल
4. भवंरी देवी पत्नी बिरदीचन्द जाति धोबी निवासी एन0बी0सी0 शान्ति नगर हसनपुरा म0न0 92खातीपुरा जयपुर।
5. मन्नी देवी पत्नी मुन्नालाल जाति धोबी निवासी सिरसी , तहसील झोटवाडा जयपुर।
6. रामचन्द्र पुत्र केशाराम जाति धोबी निवासी बधाल हाल निवासी एल0बी0नगर झोटवाडा
7. सन्जया देवी पत्नी सोहनलाल जाति धोबी निवासी जैतपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर
8. गेन्दी देवी पत्नी सत्यनारायण
9. सोनी देवी पत्नी नन्छु जाति धोबी निवासी 59 , श्याम बिहारी नाडी का फाटक सरकारी स्कूल झोटवाडा जयपुर जिला जयपुर।
10. श्रीमान तहसीलदार महोदय कि.रेनवाल जिला जयपुर राज0
11. श्रीमान उपपंजीयक महोदय कि0 रेनवाल।

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित :– श्री रामसिंह अधिवक्ता वादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 30/06/25

1. वादी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बधाल पटवार हल्का बधाल तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 656 रकबा 2.6555 हैक्टेयर बारानी 2, 657/1 रकबा 0.1517 हैक्टैयर बारानी2 660 रकबा 0.0379 हैक्टैयर गै0मु0 चाह , 661 रकबा 1.7703 हैक्टैयर बारानीए कुल किता 4 कुल रकबा 4.6154 हैक्टैयर जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है शेष हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात मद नम्बर 1 में वर्णित वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ल0 9 की अविभाजित खातेदारी है। जिसमें सभी का सयुंक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि का विधिक रूपा से विभाजन नहीं होने से कब्जे काश्त को लेकर वाद विवाद होने की संभावना रहती है। तथा सींवडोल कायम करने एंव भूमि को उन्नत विकसित करने में भी परेशानी होती है। जिसके लिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ल0 9 को कई बार वादग्रस्त भूमि को बाई मिट्स एण्ड बोन्डस (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी) के सिद्धान्त के आधार पर भूमि का विधिक विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने उपरोक्त आराजीयात का विभाजन करवाने हेतु आश्वसत किया। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकोर्ड में अविभाजित है। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 01 ल0 09 को

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

वादग्रस्त भूमि वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि का विधिक रूप से विभाजन करवाने के लिए कहता है तो टालमटोल व बहाने बाजी करते आ रहे है तथा विधिक रूप से विभाजन नहीं करवा रहे है। जिससे वाद विवाद होने का हमेशा अंदेशा बना रहता है। , वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 को वादग्रस्त भूमि का विभाजन विधिक रूप से करवाने के लिए कहा के लिए कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 ल0 9 इंकार हो गये तथा वादग्रस्त भूमि पर मनचाही जगह कब्जा करने व निर्माण करने व बैचान करने की धमकी देने के कारण वादी को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञ विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्याा 10, 11 पैरोकार सरकार है।
3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी पेश की।
4. प्रकरण दिनांक 04.06.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार किशनगढ रेनवाल से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई।
5. बहस वादी व पैरोकार सरकार को सुना गया।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। दौराने बहस वादी की ओर से नक्शें कुरेजात पर कोई आपति व्यक्त न करते हुए मुताबिक नक्शें कुरेजात वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है पत्रावली एंव नक्शें कुरेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। मनन् उपरान्त यह न्यायालय वादीगण का वाद मुताबिक नक्शें कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। इसी अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिकी किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को पांबद किया जाता है कि विभाजन अनुसार वादी को प्राप्त आराजीयात् में वादी के उपयोग–उपभोग में कोई दखल अंदाजी नहीं करे।

वाकै ग्राम बधाल तह0 किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज0

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	धनेश कुमार बलाई पुत्र रिछपाल हि0 सम्पूर्ण सा0 बलाईयों का मोहल्ला काबरों का बास तह0 कि0 रेनवाल जयपुर खातेदार	657/1 रकबा 0.1517 हैक्टेयर 661/1 रकबा 1.00215 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.15385 हैक्टेयर
2	1. गेन्दी देवी पत्नी सत्य नारायण हि0 1/18 जाति धोबी सा0 59 श्याम बिहारी नाडी का फाटक 2. नन्दराम पुत्र हनुमान हि0 2/9 जाति धोबी सा0 देह 3. भंवरीदेवी पत्नी बिरदीचन्द हि0 1/18 शान्ती नगर हसनपुरा म0न0 92 खातीपुरा	656 रकबा 2.6555 हैक्टेयर 660 रकबा 0.0379 हैक्टेयर 661/2 रकबा 0.76815 कुल किता 3 कुल रकबा 3.46155 हैक्टेयर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

4. मदनलाल पुत्र हनुमान हि0 2/9 जाति धोबी सा0 देह 5. मनी देवी पत्नी मुन्नालाल हि0 1/18 धोबी सा0 सिरसी तह0 झोटवाडा 6. रामचन्द्र पुत्र केशाराम हि0 1/18 धोबी सा0देह हाल निवासी झोटवाडा 7. सन्ज्या देवी पत्नी सोहनलाल हि0 1/18 जाति धोबी सा0 देह जैतपुरा तह0 चौमू जयपुर 8. सीताराम पुत्र हनुमान हि0 2/9 जाति धोबी सा0देह खातेदार 9. सोनी देवी पत्नी नन्छू हि0 1/18 जाति धोबी श्याम बिहारी नाडी का फाटक सरकारी स्कूल झोटवाडा जयपुर	

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 3/6/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ सत्यमेव जयते ★ किशनगढ़-रेनवाल

(सुनिता मीणा)आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

बइजलास :– सुनिता मीणा आर.ए.एस.

01. धनेश कुमार बलाई पुत्र रिछपाल निवासी काबरों का बास तहसील कि0 रेनवाल
वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र हनुमान
2. नन्दाराम पुत्र हनुमान
3. मदनलाल पुत्र हनुमान
   समस्त जाति धोबी निवासी बधाल तहसील कि0 रेनवाल
4. भवंरी देवी पत्नी बिरदीचन्द जाति धोबी निवासी एन0बी0सी0 शान्ति नगर हसनपुरा म0न0 92खातीपुरा जयपुर।
5. मन्नी देवी पत्नी मुन्नालाल जाति धोबी निवासी सिरसी , तहसील झोटवाडा जयपुर।
6. रामचन्द्र पुत्र केशाराम जाति धोबी निवासी बधाल हाल निवासी एल0बी0नगर झोटवाडा
7. सन्जया देवी पत्नी सोहनलाल जाति धोबी निवासी जैतपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर
8. गेन्दी देवी पत्नी सत्यनारायण
9. सोनी देवी पत्नी नन्छु जाति धोबी निवासी 59 , श्याम बिहारी नाडी का फाटक सरकारी स्कूल झोटवाडा जयपुर जिला जयपुर।
10. श्रीमान तहसीलदार महोदय कि.रेनवाल जिला जयपुर राज0
11. श्रीमान उपपंजीयक महोदय कि0 रेनवाल।

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नंबर 93/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रामसिंह मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाकै ग्राम बधाल तह0 किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित शामलात भूमि का पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का भाग रहेगा

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	धनेश कुमार बलाई पुत्र रिछपाल हि0 सम्पूर्ण सा0 बलाईयों का मोहल्ला काबरों का बास तह0 कि0 रेनवाल जयपुर खातेदार	657/1 रकबा 0.1517 हैक्टेयर 661/1 रकबा 1.00215 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.15385 हैक्टेयर
2	1. गेन्दी देवी पत्नी सत्य नारायण हि0 1/18 जाति धोबी सा0 59 श्याम बिहारी नाडी का फाटक 2. नन्दराम पुत्र हनुमान हि0 2/9 जाति धोबी सा0 देह 3. भंवरीदेवी पत्नी बिरदीचन्द हि0 1/18 शान्ती नगर हसनपुरा म0न0 92 खातीपुरा 4. मदनलाल पुत्र हनुमान हि0 2/9 जाति धोबी सा0 देह	656 रकबा 2.6555 हैक्टेयर 660 रकबा 0.0379 हैक्टेयर 661/2 रकबा 0.76815 कुल किता 3 कुल रकबा 3.46155 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

		5. मनी देवी पत्नी मुन्नालाल हि0 1/18 धोबी सा0 सिरसी तह0 झोटवाडा 6. रामचन्द्र पुत्र केशाराम हि0 1/18 धोबी सा0देह हाल निवासी झोटवाडा 7. सन्ज्या देवी पत्नी सोहनलाल हि0 1/18 जाति धोबी सा0 देह जैतपुरा तह0 चौमू जयपुर 8. सीताराम पुत्र हनुमान हि0 2/9 जाति धोबी सा0देह खातेदार 9. सोनी देवी पत्नी नन्छू हि0 1/18 जाति धोबी श्याम बिहारी नाडी का फाटक सरकारी स्कूल झोटवाडा जयपुर	

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। खर्चा उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 30/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुहर

(सुनिता मीणा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना वकील	–	–
महन्ताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–	मीजान	–	–

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल